न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 42/2024

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी--**
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री रमेश कुमार पुत्र श्री भूरचन्द जाति जैन निवासी न्याति नोहरा, ढाणी बाजार, बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 29.10.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.05.2024 को श्री सुरेश विश्नोई, प्रवर्त्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स शा भूरचन्द चीमनीराम जैन पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री रमेश कुमार उपस्थित मिला। उक्त दुकान मे अवैध रूप से घरेलू सिलेण्डर का विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो आठ घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल) मौके का पाया [illegible] जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	229356	HPCL	29.000 Kg	15.800 Kg	13.200 Kg
2.	363395	HPCL	30.000 Kg	16.000 Kg	14.000 Kg
3.	546829	HPCL	29.200 Kg	15.800 Kg	13.400 Kg
4.	280183	HPCL	30.000 Kg	16.100 Kg	13.900 Kg
5.	36874	HPCL	29.800 Kg	15.600 Kg	14.200 Kg
6.	938478	BPCL	16.100 Kg	15.000 Kg	01.100 Kg
7.	5253	BPCL	28.000 Kg	15.900 Kg	12.100 Kg
8.	15620	IOCL	16.200 Kg	16.100 Kg	00.100 Kg

2. मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 8 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स थार गैस एजेन्सी वितरक के मैनेजर श्री ओमसिंह पुत्र श्री करणसिंह जाति राजपूत निवास रेन बसेरा के पीछे, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजि[illegible] अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। [illegible] अनुपस्थित। अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स थार गैस एजेन्सी, बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जबकि मौतबिरान के रूबरू मौके व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग लेते हुए जब्त किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त आठ गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

6. आदेश आज दिनांक 29.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर